न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 23/2015
जीसीएमएस नम्बर :: 2015/00019

अपीलाण्ट :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
1. मोहनसिंह पुत्र भोपालसिंह 2. बाबुसिंह पुत्र चुन्नीलाल		1. अमरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत, निवासी ठाकुरला तहसील व जिला पाली। 2. तहसीलदार, पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 28.02.2024

यह अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या 5120/2001 के आदेश दिनांक 30.06.2015 की पालना में प्रकरण दर्ज किया जाकर उभयपक्ष को जरिये सम्मन तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा राज. भू राजस्व (सग्रह स्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम 1961 (जिसे आगे अपील में नियम 1961 के नाम से संबंधित किये जायेगें) के तहत एक 500 वर्गगज भूमि का आवंटन ग्राम ठाकुरला के खसरा संख्या 642 किस्म गैर मुमकिन आगौर में से किया है जो स्पष्टतया विधि के प्रावधानों के विपरीत है। नियम 1961 के नियम 4 के तहत उक्त आगौर तालाब, तालाब के नीचे डूबी हुई जमीन, तालाब की पाल आदि आवंटन से प्रतिबन्धित है अर्थात उक्त नियम 1961 के तहत ऐसे क्षेत्रों में संग्रहस्थल हेतु भूमि के आवंटन पर रोक है जिसकी पालना की जानी मेन्डेटरी है फिर भी अधीनस्थ न्याायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को अवैध लाभ पहुचाने की नियत से उक्त अवैध एवं विधि विरूद्व कार्य करके गैर मुमकिन आगौर में से आवंटन किया है। जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। ग्राम ठाकुरला के खसरा संख्या 594, 597 व खसरा संख्या 642 में उक्त तालाब स्थित है। उक्त तालाब ही ग्रामजनों एवं मवेशियों के पानी का एकमात्र स्त्रोत है। इसलिए जैर आवंटन काबिले खारिज है। नियम 4-ए के तहत अस्थाई आवंटन किया जाता है जिस पर किसी भी प्रकार का कच्चा, पक्का व स्थायी निर्माण करने की अनुमति नहीं है जबकि उक्त नियम का रेस्पो. संख्या 01 ने उल्लंघन किया है इसलिए भी जैर आवंटन काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील पेश करने की इजाजत में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देते है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रकरण में देखने रेकर्ड एवं श्रवणशुदा बहस के आधार पर यह सुस्पष्ट है कि ग्राम ठाकुरला के नामान्तरकरण संख्या 312 से रेस्पो. संख्या 01 अमरसिंह को विवादित आराजी खसरा संख्या 642 किस्म गैर मुमकिन आगोर से बाड़े के लिए भूमि आवंटन की गई है। यह भूमि आवंटन हमेशा अस्थाई होता है तथा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इसकी राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि किये जाने की कोई विधिक/उपादेयता नहीं होती। उक्त आराजी में किये गये अन्य आवंटनों को इसी न्यायालय के अन्य राजस्व प्रकरण संख्या 15/2000 व राजस्व प्रकरण संख्या 16/2000 में अन्य आवंटियों को किये गये समान प्रकार के आवंटनों को भी निरस्त किया जाकर भूमि को राज्यहित में लिया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के निर्देश जारी किये गये। एक बार पुनः समस्त तथ्यों को पुनरूक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रकरण न्यायालय हाजा में निस्तारित पूर्व में राजस्व प्रकरण संख्या 15/2000 व राजस्व प्रकरण संख्या 16/2000 से पूर्णतया साम्यता रखते है एवं squarely covered है। तद्नुसार अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर रेस्पो. संख्या 01 अमरसिंह को किये गये उक्त नामान्तरकरण संख्या 312 के खसरा संख्या 642/3 का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः राज्यहित में लिया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये जाते है। निर्णय की सत्य–प्रति तहसीलदार पाली को माफिक निर्णय पालनार्थ प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली